



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली-32

सं.बी-12015/67/सीएसएमए/प्रशा./समन्वयन/2018/05

दिनांक: 16.04.2018

परिपत्र

विषय: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह 'ए' के 40 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के अधिकारियों लिए वार्षिक चिकित्सा जांच के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27.03.2018 के परिपत्र सं. बी-12015/29/CSMA/प्रशा./समन्वयन/2017/YHRC के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि समूह 'ए' के अधिकारियों के लिए यशोधरा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में वार्षिक चिकित्सा जांच की अवधि दिनांक 13.04.2018 से बढ़ा कर दिनांक 27.04.2018 तक कर दी गई है क्योंकि यह पाया गया है कि बहुत से अधिकारी अपनी व्यस्त कार्यालयी दिनचर्या के कारण वार्षिक चिकित्सा जांच नहीं करा पाए हैं।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी समूह 'ए' के अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि यशोधरा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, यूपी में दिनांक 27.04.2018 तक प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक डॉ. सिद्धार्थ (मो.8076100594)/ डॉ गौरव भार्गव (मो.9718510407, 8700396993) से संपर्क कर अपनी वार्षिक चिकित्सा जांच कराएं।

यह सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अशोक कश्यप)

प्रशासनिक अधिकारी (समन्वयन)

वितरण:

1. सभी प्रभाग प्रभारी, मुख्यालय, दिल्ली - कृपया इसे अपने अधीनस्थ समूह 'ए' के अधिकारियों में परिचालित करें।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव - सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव के निजी सचिव - सूचनार्थ।
4. डॉ. विक्रम गोवर, जनरल मैनेजर, यशोधरा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, कौशाम्बी, गाजियाबाद - सूचनार्थ।
5. लेखा अधिकारी-II
6. सभी सूचना पट्ट